न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–57 / 2014
GCMS NO:- 2014/00004

दायर दिनांकः 24.6.2014
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. मनोहरलाल आ0 नन्दराम उर्फ नन्दा जाति बैरवॉ नि0 करवर तहसील नैनवॉ।
2. नाथूलाल आ. भूरा जाति माली नि. करवर तहसील नैनवॉ।
3. रामदेव आ0 बालू जाति बैरवॉ नि0 करवर तहसील नैनवॉ।
4. हरिराम आ0 सांवला जाति गुर्जर नि. कल्याणीखेडा तहसील नैनवॉ।

– वादीगण

बनाम

चौथमल आ0 रामचन्द्र जाति महाजन नि0 करवर तहसील नैनवॉ वगै. (कुल 14)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 68क, 251 एवं 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकोर।
प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन।
प्रतिवादीगण संख्या 5, 7 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 18.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर मे खाता संख्या 1045 के खसरा नम्बर 1586 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से पृथक पृथक खेती काश्त करते है। इसी प्रकार ग्राम करवर मे खाता संख्या 336 के खसरा नम्बर 829 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 830 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 831 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 832 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 835 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 836 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1587 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 के संयुक्त खातेदारी की है जिस पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 संयुक्त रूप से पृथक पृथक खेती काश्त करते है। इसी प्रकार ग्राम करवर मे खाता संख्या 1048 के खसरा नम्बर 1584 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी संख्या 3 के खातेदारी की कृषि भूमि है। इसी प्रकार ग्राम करवर मे खाता संख्या 835 के खसरा नम्बर 1583 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिस पर वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 13 संयुक्त रूप से खेती करते है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 मे वर्णित भूमियों मे आने जाने का एकमात्र रास्ता करवर से इन्द्रगढ रोड से फटकर खसरा नम्बर 1560 तथा 1560/3133 के बीच की मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 1587 व खसरा नम्बर 1586 की बीच की मेड पर होता हुआ खसरा नम्बर 1584 व 1588 की बीच की मेड पर होता हुआ 1574 व 1583 की बीच मेड पर होता हुआ आगे अन्य काश्तकारों की कृषि भूमि पर निकल जाता है जो करीबन 30 फीट चौडा है लेकिन वर्तमान मे करीबन 10 फीट चौडा रास्ता है जिसमे होकर वादीगण अपने कृषि उपकरणों को लेकर वर्षो से आवागमन कर रहे है और रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त कर चुके है। इस रास्ते को वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वादीगण के खेतो मे जाने का नही है।

यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादपत्र की चरण संख्या 6 एवं परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते को खुलासा करवाये, प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते मे लगवाये गए डोल को हटवाए, रास्ते को 30 फीट चौडा करवाये, नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज करवाये एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाये कि प्रतिवादीगण वादीगण के रास्ते पर वादीगण के हक, अधिकार व सुखाधिकार तथा आवागमन मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण के रास्ते को चौडा करने, रास्ता बहाल करने मे जितनी भी भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की आती है, उसकी प्रतिकर राशि जो भी न्यायालय निर्धारित करे, अदा करने को तैयार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकोर ने वकालातनामा व जवाब दावा, प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा वकालातनामा व जवाब दावा, प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां द्वारा वकालातनामा, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया।

आज दिनांक 18.08.2025 को हमने वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि वादीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 829, 830, 831, 832, 835, 836, 1587, 1583 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ